मेरठ विकास प्राधिकरण

की

100वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 08–11–2013

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 100वीं बैठक दिनांक 08–11–2013 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 100वीं बैठक कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ का सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 08–11–2013 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री नवदीप रिणवा,	ज़िलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्री डी0सी0 गुप्ता,	सहयुक्त निदेशक, (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ	सदस्य।
4.	श्री के0बी0वार्ष्णेय,	मुख्य अभियन्ता (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त), नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
5.	श्री एस0के0 अग्रवाल,	अधीक्षण अभियन्ता, (प्रतिनिधि आवास आयुक्त) मेरठ जोन, मेरठ।	सदस्य।
6.	श्री हितेश कुमार,	सहायक नियोजक, (प्रतिनिधि–आयुक्त,एन0सी0आर0) गाजियाबाद।	सदस्य।
7.	डा0 दिनेश कुमार,	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि), मेरठ।	सदस्य।
8.	श्री उमेश मित्तल	अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय प्रतिनिधि–उप महा प्रबन्धक,	सदस्य।

		विद्युत नगरीय, मेरठ।	
9.	डा0 आभा गुप्ता,	संयुक्त निदेशक उद्योग, ज़िला उद्योग, मेरठ।	सदस्य।
10.	श्री पी0के0निगम	उप महा प्रबन्धक (विद्युत नगरीय), मेरठ।	सदस्य।
11.	श्री एन0के0गोयल,	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्री डी0पी0श्रीवास्तव	अपर ज़िलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)	विशेष आमन्त्रित सदस्य।
13.	डा0 राजेश सिंह,	शासन द्वारा नामित सदस्य, दयानन्द नर्सिंग होम, बेगमपुल, मेरठ।	सदस्य।
14.	श्री परमिन्दर इसू,	शासन द्वारा नामित सदस्य, 32, सोतीगंज, गुरूद्वारा रोड़, मेरठ।	सदस्य।
15.	श्री राजेश कुमार,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक।

प्राधिकरण की 99 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–04–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–04–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 18–02–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 2

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। शासन द्वारा नामित सदस्य श्री परविन्दर इसू द्वारा यह तथ्य रखा कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा केवल 11 बारातघरों के विरूद्ध ही कार्यवाही की गयी है जबकि मेरठ नगर में 146 विवाह मण्डपों की सूची पूर्व बोर्ड बैठक में अध्यक्ष महोदय को सौंपी गयी थी जिसके विरूद्ध की गयी कार्यवाही से अवगत कराने की माँग की गयी तथा इसी प्रकार अवैध मोबाईल टावरों के सम्बन्ध में कार्यवाही से अवगत कराने की माँग की गयी।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 30–04–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 8

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कालोनियों की रोकथाम हेतु रजिस्ट्रीकरण इत्यादि के सम्बन्ध में कतिपय आदेश जारी हुए है, उन्हें देख लें। मेरठ विकास प्राधिकरण इन्फोर्समेन्ट को मजबूत करे। अवैध निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को माह में एक दिन कैम्प लगाकर सुनवाई करते हुए निस्तारण करें। कैम्प की तिथि निश्चित करके समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करते हुए कैम्प का आयोजन करें। अवैध 146 कालोनियों की विस्तृत रिपोर्ट कालोनी का नाम, क्षेत्रफल, अवैध कालोनी निर्माता/अवैध निर्माणकर्ता के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के विवरण सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इनकी संख्या 146 से 147 न हो। ज़िलाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रशासन की बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि नगर निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद को जब कभी पुलिस बल की आवश्यकता होगी, उसे तत्समय उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक माह उपाध्यक्ष रिव्यु करें यदि यह संख्या बढ़ती है तो प्रभारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–12–2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 : 20, 21, 22

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि कालोनी हस्तान्तरण के समय प्राधिकरण द्वारा जिन अवशेष कार्यो के लिये धनराशि नगर निगम को सौंपी गयी, वही कार्य नगर निगम द्वारा कराया जायें। नगर निगम द्वारा इस धनराशि से किये गये कार्यों का स्टेटमेन्ट (वित्तीय/भौतिक प्रगति सहित) प्रत्येक माह की 10 तारिख तक प्राधिकरण को भिजवाया जायें और विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के अधिकारी प्रत्येक माह इन कार्यों का संयुक्त निरीक्षण करें।

प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 25–04–2012 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 1

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि सैनिक विहार योजना एवं स्पोर्टस् गुडस् योजना के हस्तान्तरण हेतु अवशेष कराये जा रहे हैं। मा0 बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ उक्त कालोनियों का संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाये।

अनुपूरक प्रस्ताव–97वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 25–04–2012

अनुपूरक मद सं0 1

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी, निर्देश दिये गये कि इस बिन्दु पर निर्णय अनुपूरक मद सं0 3 पर पृथक से होगा।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–12–2012 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 6

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की ओर से अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–12–2012 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 3

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रस्ताव पर अपर ज़िलाधिकारी (सीलिंग) की जाँच आख्या प्राप्त नहीं हुई है। मा0 बोर्ड द्वारा एक माह के अन्दर जाँच पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। उपाध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में भू–अर्जन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ायी जाये। इस के अतिरिक्त बोर्ड के सदस्य डा0 राजेश सिंह द्वारा यह बिन्दु मा0 बोर्ड के समक्ष रखा गया कि रक्षापुरम फेस–2 में प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध कब्ज़े किये जा रहे है तथा इस योजना में आवंटित भूखण्डों पर प्राधिकरण द्वारा कब्ज़ा प्राप्त नहीं कराया जा रहा है। मा0 बोर्ड द्वारा अवैध कब्ज़े रोकने व भूखण्डों को विकसित कर आवंटियों को सौंपने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0 4

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

98वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश पर अनुपालन–

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–04–2013 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 01

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि एस0टी0पी0 का अनुरक्षण निर्माण कम्पनी के साथ निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार कराया जा रहा है जिसमें मशीनरी का रख–रखाव का व्यय निर्माता कम्पनी द्वारा स्वयं वहन किया जा रहा है तथा एस0टी0पी0 पर तैनात कम्पनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक व विद्युत आपूर्ति/डीज़ल मद में होने वाला व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जा रहा है। मा0 बोर्ड द्वारा इस बिन्दु पर यह निर्देश दिये गये कि कुछ एस0टी0पी0 का अनुबन्ध माह अक्टूबर 2014 में समाप्त हो रहा है। सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में अधीक्षण अभियन्ता (जलकल), मुख्य अभियन्ता, नगर निगम व मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण की गठित समिति में एक सदस्य जल निगम का शामिल करने के निर्देश दिये गये, यह समिति अनुबन्ध की समाप्ति के 3 माह पूर्व इस बिन्दु पर अपनी रिपोर्ट दें कि प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित कालोनियों में एस0टी0पी0 के हस्तान्तरण के बाद उसके समुचित रख–रखाव हेतु नगर निगम द्वारा क्या–क्या कार्यवाही करनी अपेक्षित होगी।

मद सं0 02

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड द्वारा इस बिन्दु पर खेद व्यक्त किया गया कि विगत बोर्ड द्वारा तीन माह का समय दिया गया था जिस पर कार्यवाही नहीं हुई है। यह कार्यवाही अब दो माह के अन्दर शासनादेश के अनुक्रम में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 03

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 04

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि कैंची उद्योग के जो 99 भूखण्ड पूर्व में आवंटित हुए हैं, उनकी सत्यापन आख्या उद्योग अनुभाग द्वारा प्राप्त करायी जा चुकी है, जिन आवंटियों की रजिस्ट्री शेष रह रही है, को रजिस्ट्री/कब्जा

कराने हेतु नोटिस भेजा जाये। सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदकों के पक्ष में वर्तमान औद्योगिक दर जो रूपये 6500/– प्रति वर्ग मीटर है, पर भूखण्ड आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुक्रम में ज़िला उद्योग केन्द्र से सत्यापित 210 आवेदकों को पत्र भेजकर उनकी वर्तमान दर पर भूखण्ड आवंटित किये जाने की सहमति माँगी जिनमें से 19 आवेदकों द्वारा वर्तमान दर पर भूखण्ड का आवंटन किये जाने की सहमति दी गयी है। मा0 बोर्ड द्वारा अपेक्षा की गयी कि सचिव, संयुक्त निदेशक उद्योग एवं वित्त नियन्त्रक, आवेदकों के प्रतिनिधि मण्डल से इस बिन्दु पर वार्ता कर लें कि जो आवेदक वर्तमान दर से भूखण्ड के आवंटन पश्चात् तुरन्त अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित कर लेंगे, उनसे भूखण्ड के आवंटन पर रूपये 6500/– की दर से पूरी धनराशि लेकर ही रजिस्ट्री कब्जा की कार्यवाही की जायेगी किन्तु उद्योग ईकाई तुरन्त स्थापित करने पर छूट पर विचार किया जा सकता है। इस योजना के जिन आवेदकों के मध्य लाटरी ड्रा का आयोजन किया जाना है, उनका सत्यापन ज़िला उद्योग केन्द्र से होना शेष है जिस पर डा0 आभा गुप्ता, संयुक्त निदेशक उद्योग, ज़िला उद्योग, मेरठ द्वारा बोर्ड को अवगत कराया कि शेष आवेदकों की सूची एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

मद सं0 05

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जो कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत्त होगा उसके एरियर की धनराशि उसके सी0पी0एफ0 खाते में डालने की बजाय कर्मचारी को दे दी जाये।.

मद सं0 06

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 07

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड द्वारा शासन के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

मद सं0 08

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 09

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड द्वारा गंगानगर योजना का भौतिक कब्जा प्राप्त कर योजना की बोउन्ड्री करने एवं विकास कार्य करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 10

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–04–2013 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 01

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

99वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश पर अनुपालन–

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्ट होकर मा0 बोर्ड के नामित सदस्यों (श्री परविन्दर इसू एवं डा0 राजेश सिंह) द्वारा बधाई दी गयी।

प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08–11–2013 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 1

मा0 मुख्यमन्त्री जी के द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं के अनुक्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी योजना के अन्तर्गत आई0टी0पार्क को विकसित किये जाने हेतु मानकों एवं सुविधाओं का निर्धारण एवं भूमि के विक्रय सह–नीलामी हेतु आरक्षित दर के निर्धारण के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त, परियोजना को बिड आऊट करने में आवश्यक सहयोग हेतु कन्सलटेन्ट एंगेज करने के निर्देश दिये गये। पीपीपी माडल पर आई0टी0 पार्क के विकास के सम्बन्ध में शीघ्र ही शासन द्वारा गाईड लाईन्स जारी होनी है। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी का गठन करने के निर्देश दिये गये जो कन्सलटेन्ट के सहयोग से टेण्डर इत्यादि की कार्यवाही करेगी एवं समय–समय पर परियोजना के संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष लायेगी।

मद सं0 02

उ0प्र0 में ''सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी.पी.पी.)'' के आधार पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशनों के विकास हेतु प्राधिकरणों में प्रवृत्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से मेरठ विकास क्षेत्र में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उप विधि 2008 (यथा संशोधित 2011) में अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 : 03

शासन के कार्यवृत्त दिनांकित 23–05–2012 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति जिसमें सहयुक्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, वित्त नियन्त्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण, नगर निगम का एक अधिकारी एवं पी0डब्लू0डी0 के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे, गठित करने के निर्देश दिये गये। समिति शासनादेश के आलोक में कार्यवृत्त दिनांकित 23–05–2012 में उल्लिखित सुझावों पर विचारोपरान्त शासन को सुझाव भेजने हेतु प्रस्ताव तैयार करेगी जिस पर अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

मद सं0 : 04

ग्राम अम्हेड़ा आदिपुर के खसरा सं0 529 क्षेत्रफल 10560 वर्ग मीटर का भू–उपयोग ''कार्यालय'' से ''आवासीय'' में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की। सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ द्वारा प्रश्नगत भूमि का भूउपयोग ''कार्यालय'' से ''आवासीय'' किये जाने में इस बिन्दु पर आपत्ति की गयी कि मेरठ महायोजना–2021 में 351.17 हेक्टेअर भूमि का क्षेत्र कार्यालय उपयोग हेतु रखा गया है जिस में से मात्र 1 हैक्टेअर भूमि का भू–उपयोग आवासीय किया जाना कम व्यवहारिक है। यह अवगत कराये जाने पर कि प्रश्नगत भूखण्ड मवाना रोड़ से 9 मीटर चौड़ी सड़क पर 350 मीटर की दूरी पर है, ग्रामीण आबादी होने के कारण पूर्व में ही ग्रामीणों द्वारा मकान आदि बनाये जा चुके हैं, स्थल की स्थिति व आसपास की परिस्थितियों (Surroundings) को सर्वांगिक रूप से दृष्टिगत रखते हुए मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 : 05

रूडकी रोड पर ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा, रोशनपुर डौरली, ललसाना व पीलना सोफीपुर की भूमि पर पल्लवपुरम

फेस–तृतीय के स्थान पर ग्राम रिठानी, नंगला शेरखाँ उर्फ जैनपुर, नूरनगर, मौहम्मदपुर गुम्मी एवं लिसाडी की भूमि पर न्यू टाउनशिप विकसित करने हेतु भूमि अर्जन के प्रस्ताव को निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति, अन्य प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए चर्चा के उपरान्त भूमि अर्जन के प्रस्ताव को फिलहाल ड्राप करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0 : 06

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का वित्तीय वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित आय–व्ययक।

मा० बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी। प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि राजस्व प्राप्तियों के मद सं० 1.3 मानचित्र शुल्क की प्राप्तियों हेतु निर्धारित लक्ष्य रू० 85.00 लाख के स्थान पर रू० 150.00 लाख का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाये तथा मद सं० 1.4 शमन शुल्क की प्राप्तियों हेतु निर्धारित लक्ष्य रू० 600.00 लाख के स्थान पर पुनरीक्षित लक्ष्य रू० 750.00 लाख कर दिया जाये।

मा० बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि बजट की उपाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

मद सं0 : 07

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्राधिकरण के लेखों के सम्परीक्षण के सम्बन्ध में।

मा० बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा शेष ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिये गये।

मा० बोर्ड द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि अपर आयुक्त (लेखा), सचिव, उपनिदेशक (स्थानीय निधि लेखा) तथा वित्त नियंत्रक की एक समिति गठित की जाती है जिसके द्वारा ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही करायी जायेगी तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण की समीक्षा की जायेगा।

मद सं0 : 08

महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्राधिकरण के लेखों के सम्परीक्षण के सम्बन्ध में।

मा० बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा शेष ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिये गये।

मा० बोर्ड द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि अपर आयुक्त (लेखा), सचिव, उपनिदेशक (स्थानीय निधि लेखा) तथा वित्त नियंत्रक की एक समिति गठित की जाती है जिसके द्वारा ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही करायी जायेगी तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण की समीक्षा की जायेगी।

मद सं0 : 09

गंगानगर आवासीय योजनान्तर्गत अतिरिक्त प्रतिकर की बढी धनराशि पर देय ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि दिनांक 29–04–2005 से 20–09–2013 के मध्य कितने आवंटियों द्वारा तथा दिनांक 20–09–2013 से दिनांक 08–11–2013 तक कितने आवंटियों द्वारा बढ़े प्रतिकर की धनराशि सब्याज जमा की गयी है तथा कितने आवंटी ऐसे है जो बढ़े प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में न्यायालय में नहीं गये ओर उनके द्वारा धनराशि भी जमा नहीं की गयी, के विवरण के साथ प्रस्ताव आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाये।

मद सं0 : 10

प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा प्राधिकरण कार्य हेतु दो पंहियॉ निजी वाहन प्रयोग करने पर वाहन भत्ता रू0 1,000/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 1,500/– प्रतिमाह दिये जाने का प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0 : 11

शताब्दी एन्कलेव द्वितीय (सेक्टर 9, शताब्दीनगर) में विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों के आवंटियों द्वारा जमा की गयी धनराशि के वापस किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। विगत में दिनांक 18–02–2008 को सम्पन्न मा0 बोर्ड की 81वीं बैठक के मद सं0 8 पर निर्णय पारित हो चुका है। मा0 बोर्ड द्वारा पारित उक्त निर्णयानुसार विकास कार्य पूर्ण न होने, विवाद के कारण सम्पत्ति अनुपलब्ध होने की दशा में आवंटियों की जमा धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती वापस की जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद सं0 : 12

मवाना, हस्तिनापुर व सरधना के क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित किये जाने हेतु पुनः संशोधित प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा मेरठ विकास क्षेत्र की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–12–2012 द्वारा अनुमोदित शासन को प्रेषित कतिपय ग्रामों, वर्तमान में प्रस्तावित ग्रामों व नगरीय क्षेत्र एवं मेरठ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे व हापुड़ रोड़ (एन0एच0–235) मे मध्य पड़ने वाले क्षेत्र को शामिल करते हुए कन्सोलिडेटिड ग्रामों की सूची के साथ प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 : 13

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं की फीस के निर्धारण/पुनरीक्षित के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त चौधरी नरेन्द्र पाल सिंह अधिवक्ता की प्रस्तावित फीस यथावत् स्वीकृत करते हुए अन्य अधिवक्ताओं की फीस निम्नानुसार निर्धारित करने के निर्देश दिये गयेः–

1–ज़िला न्यायालय

क0 सं0	विवरण	वर्तमान में मे0वि0प्राधि0 द्वारा दी जा रही फीस	स्वीकृत फीस
1.	2.	3.	4.
1.	सिविल वाद	3630/–से 30000/–	3,000/– से 5,000/–
2.	सिविल वादों की अपील	1100/– से 30000/–	1,000/–
3.	निगरानी	550/– से 30000/–	1,100/–

4.	सिविल वादों की इजराय	3025/– से 8500/–	3,025/–
5.	एल0ए0आर0	1650/– से 4000/–	1,650/– से 4,000/–
6.	एल0ए0आर की इजराय	1650/– से 6000/–	1,650/–
7.	धारा–26	100/– प्रतिवाद	500/–
8.	श्रम न्यायालय	1100/–	1,100/–
9.	विधिक राय	500/–	500/–
10.	आरबीट्रेशन वाद	रू0 25,000.00	5500/–
मा0 आयुक्त न्यायालय			
1.	म0 आयुक्त न्यायालय	7700/–	7,000/–
2–ज़िला फोरम			
1.	ज़िला फोरम के वादों में	550/–	1,500/–
2.	निष्पादन वादों में मासिक फीस	––	1000/–
3–लखनऊ स्थित विभिन्न न्यायालयों में			
1.	मा0 राज्य आयोग	4400.00 प्रतिवाद	4,400/–
2.	मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ	5500/–	15,000/–
3.	राज्य सूचना आयोग	5500/– फीस विधिक राय 250/–	2,200/–
4.	लोक सेवा अभिकरण		2,000/–
4–मा0 राष्ट्रीय आयोग			
1.	मा0 राट्रीय आयोग	5500/– से 1100.00 ड्राफिटंग फीस 1100/– से 2200/– एपी0 फीस	11,000/–
5–मा0 एम0आर0टी0पी0सी0 (सी0ए0टी0)			
1.	मा0 राट्रीय आयोग	5500/– से 1100/– ड्राफिटंग फीस 1100/– से 2200/– एपी0 फीस	11,000/–
6–मा0 उच्च न्यायालय			
1.	अधिवक्ता फीस	4600/– प्रतिवाद	15,000/–

2.	प्रतिशपथ पत्र/शपथ पत्र ड्राफिटंग फीस	1150/–	1,000/–
3.	अभिमत		1,000/–
4.	वरिष्ठ अधिवक्ता	बिल के अनुसार	बिल के अनुसार

7–मा0 उच्चतम् न्यायालय

Sl. N0	Particulars	Fee/Amounts	
1.	Drafting of S.L.P. with 10% clerkage.	5500/- to 14,300/-	11,000/-
2.	Drafting of Misc. Petition with 10% clerkage.	3500/- to 11,000/-	11,000/-
3.	Preparation of Counter Affidavit in S.L.P. or Writ Petitionor any other Misc. Application with 10% clerkage.	3500/- to 11,000/-	11,000/-
4.	Preparation of any Affidavit with 10% clerkage.	3500/- to 4,400/-	5,500/-
5.	Per appearance per case (In case more than one case-half of these fee in all other cases with 10% clerkage.	2200/- to.8,800/-	5,500/-
6.	To assist the Senior Advocate and preparation arrangring and attending conference with the Sr. Advocate with 10% clerkage.	2200/- to 6,600/-	3,300/-
7.	Lodgement of caveat with 10% clerkage.	1855/- to 4,400/-	5,500/-
8.	Opinion	Rs.13,750/-	~~5,500/-~~ 2000
9.	वरिष्ठ अधिवक्ता	बिल के अनुसार	बिल के अनुसार

बैठक के अन्त में मा0 अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय का अनुपालन समयबद्ध ढंग से किया जाये जिसकी समीक्षा प्रत्येक माह उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण करके अध्यक्ष महोदय को भी स्थिति से अवगत कराया जाये। आज की बैठक में जिन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकी उनके सम्बन्ध में विचार बोर्ड की अगली बैठक में जो यथा शीघ्र बुलाई जायेगी, किया जाये। अन्त में मा0 अध्यक्ष

महोदय एवं बोर्ड के मा0 सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

11.11.13
(राजेश कुमार)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

11.11.13
(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(मनजीत सिंह)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।